

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-01/2016गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0001-जिला कार्यकारी दल, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता एवं 27 01-लघु कार्य तथा विपत्र कोड N2055001090001 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष, उप मुख्यशीर्ष के लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0001-अधीक्षण, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता, 01 04-मकान किराया भत्ता, 01 05-परिवहन भत्ता, 01 06-चिकित्सा भत्ता, 01 07-अन्य भत्ता एवं 06 01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा विपत्र कोड N2055000010001 अंतर्गत क्रमशः ₹ 2,00,00,000, ₹ 2,50,00,000, ₹ 40,00,000, ₹ 6,00,000, ₹ 4,00,000, ₹ 50,00,000 एवं ₹ 15,00,000 यानि कुल ₹ 5,65,00,000 (पाँच करोड़ पैंसठ लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-01/2016 गृ0आ0.....^{9/65}पटना, दिनांक ^{23/11/16}

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
14/11/16

सरकार के अवर सचिव